गोपनीय/समयबद्ध

संख्या -15/सीएम 36 /84-1-2013-11(शि)/13

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2013

विषय श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, कानपुर के सम्बन्ध में प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री ओम प्रकाश शुक्ला, मीनहाजपुर, शाहगंज, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र में यह उल्लखित है कि श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, बांट माप, सरोजनीनगर, कानपुर के कार्यकाल के दौरान फर्जी कैलीब्रेशन सत्यापन प्रमाणपत्र मे0 कन्हैया लाल गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता, 213, झलवा, इलाहाबाद के नाम निर्गत किये गये, जिसके आधार पर उन्होनें इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन से टेण्डर प्राप्त किया गया, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि हुई। इस सम्बन्ध में मे0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, इलाहाबाद द्वारा पुष्टि हेतु अपने पत्र संख्या एएलडीटी/एडीडीएनएल टीटी, दिनांक 23-1-2012 को भेजे गये, (छाया प्रति संलग्न) जिसमें मे0 कन्हैयालाल व अन्य को जारी किये गये सत्यापन प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करते हुए इनकी पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया गया था, जो कि पुष्टि नहीं की गई। श्री शुक्ला ने अपने एक अन्य दिनांक रहित शिकायती पत्र (छाया प्रति संलग्न) भी प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, सरोजनीनगर, कानपुर द्वारा दिनांक 14-9-2011 को एक कार्यदिवस में 42 गाडियों को कैलीब्रेशन प्रमाणपत्र निर्गत किये गये जबकि एक गाडी के कैलीब्रेशन में लगने वाला न्यूनतम समय 35 से 40 मिनट है।

2. श्री शुक्ला द्वारा प्रेषित उक्त शिकायती पत्रों पर शासन द्वारा कतिपय अभिलेख कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक, सरोजनीनगर, कानपुर एवं मे0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन से प्राप्त किये गये, जिसके आधार पर निम्नवत तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकाश में आये :-

(1) कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक, कानपुर द्वारा विभिन्न तिथियों में निर्गत किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र संख्या-740259, 740360, 740361, 740359, 740263, 0225289 जो मे0 शिवशक्ति श्री प्रकाश कुमार केसरवानी, बब्बन कुमार कुशवाहा एवं मे0 आटो सर्विस को जारी किये गये, सही पाये गये।

....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) सत्यापन प्रमाणपत्र सं0 799304, 799305 श्री आर.पी.सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, सरोजनीनगर की मोहर द्वारा दिनांक 12.7.2011 को मे0 कन्हैयालाल गुप्ता, 213, झलावा, इलाहाबाद, मे0 सुभाष बोस जायसवाल को निर्गत किये गये किन्तु वस्तुत: ये सरोजनीनगर कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाना नहीं पाया गया है।

(3) सत्यापन प्रमाणपत्र संख्या-740206, 740210, 740209, 740208, 740161, 740202, 740207, 740159, 740158, 740160, 740205, 740157 व 740203 सभी मे0 कन्हैयालाल गुप्ता, 213, झलवा, इलाहाबाद को निर्गत किये गये, सभी अभिलेखों के आधार पर फर्जी पाया जाना प्रतीत होता है।

(4) उपरोक्त फर्जी सत्यापन प्रमाणपत्र से लाखों रू0 राजस्व की हानि की पुष्टि हुई तथा इसी सत्यापन कैलीब्रेशन प्रमाणपत्रों के आधार पर मे0 कन्हैया लाल गुप्ता द्वारा आई0ओ0सी0 से टेण्डर भी प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है।

(5) श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, सरोजनीनगर, कानपुर के कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये सत्यापन कैलीब्रेशन प्रमाणपत्रों की पुष्टि हेतु मे0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन ने अपने पत्र दिनांक 23-1-2012 (प्रति संलग्न) द्वारा अनुरोध किया गया तो श्री सिंह द्वारा पुष्टिस्वरूप कोई पत्र मे0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन को नहीं भेजा गया। इसकी पुष्टि में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के पत्र संख्या-एएलडी/आरपी/17, दिनांक 30-8-2013 की प्रति संलग्न है। इससे श्री आर0पी0 सिंह तथा उनके कार्यालय की कदाशयता एवं संलिप्तता प्रतीत होती है।

(6) श्री आर0पी0 सिंह द्वारा दिनांक 14-9-2011 को एक कार्यदिवस में 42 टैंक लारियों का कैलीब्रेशन करना, जबकि एक लारी के कैलीब्रेशन में लगने वाला समय 35 से 40 मिनट बताया गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि श्री सिंह द्वारा अपने पद के दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया। इसमें इनकी कदाश्यता एवं संलिप्तिता प्रतीत होती है।

3. अत: श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, कानपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों एवं शासन द्वारा प्राप्त किये गये अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रथम दृष्टया श्री सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, बांट माप विभाग द्वारा 15 फर्जी कैलीब्रेशन प्रमाणपत्र जारी किये गये तथा ऐसा प्रतीत होता है कि कैलीब्रेशन प्रमाणपत्रों की बुक भी फजी छपवाई गई है। इन फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर मे0 कन्हैयालाल गुप्ता तथा एक प्रकरण में श्री सुभाष बोस जायसवाल लाभग्रहीता प्रतीत होते हैं। यह एक गम्भीर आपराधिक प्रकरण है। अत: अनुरोध है कि इसकी पुष्टि के उपरान्त तदनुसार एक सप्ताह के अंदर दोषियों के विरूद्ध विधिक एवं कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक - यथोक्त।</u>

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in